

संख्या
दिनांक.....

सेवा में,

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय (लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली)
2. प्रो० गीतांजली मिश्रा, जन्तु विज्ञान विभाग, नोडल आफिसर, ABC
3. प्रो० अनूप भारतीय, समाज कार्य विभाग, नोडल आफिसर, AEDP
4. डा० किरन लता डंगवाल, शिक्षा संकाय, समन्वयक, SWAYAM
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संलग्न विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3095/सत्तर-3-2024, दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 28.11.2024 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न वर्चुअल बैठक के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बिन्दुवार कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुरोध है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या से कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

GA-27292-94

संख्या-..... दिनांक-07/12/24

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-3095/सत्तर-3-2024 दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 के क्रम में सूचनार्थ।
3. ☒ इंचार्ज वेबसाइट को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के लिंक पर अपलोड करने का कष्ट करे।
4. कार्यालय प्रति।

6-12-24
कुलसचिव

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 3095 /सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,

विशेष गचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक : 03 दिसम्बर, 2024

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 28.11.2024 को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न वर्चुअल बैठक के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं SWAYAM पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विन्दुवार निम्नवत् कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

SWAYAM पाठ्यक्रम

1. (क) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज, (ख) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, (ग) समस्त विश्वविद्यालयों एवं (घ) समस्त महाविद्यालयों में SWAYAM पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जायें।
2. सभी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधीन आने वाले समस्त महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को SWAYAM पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने हेतु प्रक्रियावार समय सारणी के साथ एक विस्तृत आदेश निर्गत कर लें।
3. सभी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधीन आने वाले समस्त महाविद्यालयों के साथ SWAYAM पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन कर लें तथा ओरिएंटेशन की तिथि से उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा परिषद एवं शासन को शीघ्र अवगत करायें।
4. सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत/नव प्रवेशित विद्यार्थियों को सूचित कर दिया जाय कि SWAYAM कोर्सेज के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित किये गये क्रेडिट उनकी डिग्री में जुड़ने के लिये मान्य होंगे।
5. समस्त विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट पर SWAYAM कोर्सेज का लिंक एवं इनके क्रेडिट्स को किस प्रकार डिग्री में जोड़ा जा सकता है, के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) उपलब्ध करायें।
6. सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर माह में दो बार स्वयं कोर्सेज में विद्यार्थियों की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक करायी जाये।

OS(GA)

Regd
4/12/24

ABC आई0डी0

1. विश्वविद्यालयों एवं उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत/नव प्रवेशित सभी विद्यार्थियों की ABC आई0डी0 क्रिगट करायी जाय।
2. विद्यार्थियों की क्रेडिट इनफॉर्मेशन उनकी ABC/APAAR आई0डी0 के साथ अपलोड/मैंग की जाए।
3. (क) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज, (ख) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, (ग) समस्त विश्वविद्यालयों एवं (घ) समस्त महाविद्यालयों में एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।
4. सभी विश्वविद्यालय अपने क्षेत्राधीन आने वाले समस्त महाविद्यालयों के साथ ABC/APAAR आई0डी0 के सम्बन्ध में सभी विद्यार्थियों के मध्य जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन करायें।
5. सचिव, यूजीसी के पत्र संख्या-F.1-50/2021(ABC/NAD) दिनांक 21.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) में की गयी अपेक्षानुसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालयों/स्वायत्त महाविद्यालयों/स्वायत्त संस्थानों) को शैक्षणिक वर्ष 2021, 2022, 2023 (कट ऑफ डेट 31 दिसंबर, 2024) एवं शैक्षणिक वर्ष 2024 (कट ऑफ डेट जून, 2025) से संबंधित एबीसी आईडी मैपड विद्यार्थियों के क्रेडिट डाटा को उक्त समय सीमा के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है। सभी विश्वविद्यालय समयबद्ध रूप से उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करायें।

मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट

1. सभी विश्वविद्यालय मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट के सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित कर अपने सक्षम निकायों/प्राधिकारी से पास करा लें।
2. मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट के लिये आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जाए।
3. उक्त सुविधा का लाभ उठाने के लिये विद्यार्थियों के मध्य मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।
4. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मल्टीपल एन्ट्री एवं मल्टीपल एग्जिट से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

FYUP

1. सभी विश्वविद्यालय यू0जी0सी0 द्वारा जारी करिकुलर एवं क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर Four Year Undergraduate Programme के अनुरूप शासन के पत्र दिनांक 02.09.2024 द्वारा निर्गत प्रदेश की FYUP नीति को अपने सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र लागू करना सुनिश्चित करें।

2. सभी विश्वविद्यालय FYUP के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कोर्सेज को शीघ्र आईडेन्टीफाई करते हुए इन कोर्सेज का संचालन विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में कराना सुनिश्चित करें।
3. जो महाविद्यालय FYUP के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उन कोर्सेज के लिये नियमानुसार मम्बद्धता दे दी जाय।
4. समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में FYUP के अन्तर्गत संचालित किये जाने वाले कोर्सेज से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

NIRF रैंकिंग/NAAC प्रत्यायन

1. सभी विश्वविद्यालयों में गठित आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की नियमित रूप से बैठक करायी जायें।
2. चूंकि NIRF रैंकिंग में प्रतिभाग निःशुल्क है। अतः सभी राजकीय, अनुदानित व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय NIRF रैंकिंग में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राजकीय महाविद्यालय नैक प्रत्यायन हेतु आवेदन अवश्य करें।
4. (क) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज, (ख) उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, (ग) समस्त विश्वविद्यालयों एवं (घ) समस्त महाविद्यालयों में NIRF रैंकिंग/NAAC प्रत्यायन से सम्बन्धित कार्य के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामित किये जायें।

इन्डस्ट्री-इंस्टीट्यूट लिंकेज

1. समस्त विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से जिला उद्योग वन्धु के समन्वय से स्थानीय उद्योगों में विद्यार्थियों के इन्टर्नशिप/रोजगार प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करायें।
2. समस्त विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित सार्वजनिक उद्यमों (PSUs) से भी समन्वय स्थापित कर प्रश्नगत बिन्दु पर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स

1. विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु सभी विश्वविद्यालयों में वन-स्टॉप-ऑफिस गठित किये जायें तथा एक नोडल भी नामित कर लिया जाय।
2. सभी विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों को जानकारी एवं सुविधा प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करायें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

Signed by Sipu Giri
(शिपू गिरि)
Date: 02-12-2024 14:13:17
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- कुलपति समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शामन।
- 3- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
- 4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
- 5- प्र० दिनेश चन्द्र शर्मा, कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 7- डॉ० संजय दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी), रूमा, लखनऊ।

आज्ञा से,

(शिपू गिरि)

विशेष सचिव।